मध्यप्रदेश बोर्स्टल अधिनियम, 1928

1.संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ
2.definitions
3.बोस््टल संस्थाओं की स्थापना
4.बोस््टल संस्था विधायी ननकायों के सदस्यों द्िारा ननरीिण के ललए खुली है
5.इक्कीस िषट से कम आयु के लसद्धदोष में ननिाटसन या कठोर कारािास के बदले बोस््टल संस्था में ननरोध का दण्डादेश पाररत करने की न्यायालय की शक्क्त
6.प्रनतभूनत देने में असफलता के ललए कारािास के बदले ननरोध
7.क्िला मक्िस्रे् की विशेष शक्क्त
8.कब धारा 7 के अधीन कायटिाही नही की िा सकेगी
9.दण्ड प्रक्रिया संहहता, 1973 और भारतीय पररसीमा अधधननयम. 1963 का लागू होना और अपील तथा पुनरीिण के ललए ननयम
10.कोई व्यक्क्त िो एक बार ननरूद्ध क्रकया िा चुका है पुन: ननरूद्ध नहीं क्रकया िाये
11.प्रनतभूनत प्रस्तुत कर देने पर ननमुटक्क्त
12.ननरोध का आदेश पाररत करने के पूिट अपराधी की आयु सम्बन्धी िांच क्रकया िाना13.ननरोध का आदेश करने के पूिट मक्िस्रे् का अपनी राय के आधारों का हदया िाना14.अनुज्ञक्प्त पर ननमुटक् त करने की शक्क्त
15.अनुज्ञक्प्त के अधीन की गैर-हाक्िरी को ननरोध की कालािधध में धगना िाना
16.अनुज्ञक्प्त के प्ररूप
17.अनुज्ञक्प्तयों का ननलम्बन और प्रनतसंहरण
18.भाग िाने के ललए शाक्क्त
19.अशोध्य अन्त:िासी
20.अधधकारी ननयुक्क्त अन्तःिालसयों का लोक सेिक होना
21.अन्तःिालसयों की बहहिटतीं अलभरिा, ननयंत्रण और ननयोिन
22.बोस््टल संस्थाओं में या से प्रनतवषद्ध िस्तुओं के प्रिेश या ह्ाये िाने के ललए शाक्स्त और अन्तःिालसयों से पत्र-व्यिहार
23.धारा 22 के अधीन के अपराधों के ललये धगरफ्तार करने की शक्क्त
24.शाक्क्तयों का प्रकाशन
25.उनकी अलभरिा में सम्यक् रूप से सुपुदट क्रकये गये व्यक्क्तयों को बोस््टल संस्था के प्रभारी अधधकारी द्िारा ननरूद्ध क्रकया िाना
26.बोस््टल संस्था के प्रभारी अधधकारी द्िारा आदेशों इत्याहद को ननष्पादन या उन्मोचन के पश्चात् िापस करना
27.कनतपय न्यायालयों के आदेशों का प्रभाि देने की बोस््टल संस्था के प्रभारी अधधकारी की शक्क्त
27-क. राज्य सरकार की शक्क्तयााँ
28.ऐसे न्यायालयों अधधकाररयों के िारण् का प्राधधकार होना
29.प्रक्रिया िहां बोस््टल संस्था का प्रभारी अधधकारी ननष्पादन के ललए उसे भेिे गए आदेश की िैधता पर संदेह करता
30.पागल अन्तःिालसयों का क्या क्रकया िायेगा
31.बोस््टल संस्थाओं को कारागार अधधननयम, 1894, और बक्न्दयों की (न्यायालय में हाक्िरी) अधधननयम, 1955 के कनतपय उपबंधों का लागू होना
32.विलुप्त
33.ननयम बनाने की शक्क्त
34.आयु सीमाओं में फेरफार करने और अधधननयम को क्स्त्रयों को लागू करने की सरकार की शक्क्त-

35.{विलुप्त}
36.{विलुप्त}

मध्यप्रदेश बोर्स्टल अधिनियम, 1928

मध्य प्रदेश में बोस््टल संस्थाओं की स्थापना और विननयम के ललये तथा उनमें कुमारअपराधधयों के ननरोध और प्रलशिण के ललए उपबन्ध करने को अधधननयम ।

प्रर्सतावि-अतः मध्यप्रदेश में बोस््टल संस्थाओं की स्थापना और विननयमन के ललए तथाउनमें कुमार अपराधधयों के ननरोध और प्रलशिण के ललए उपबन्ध करना समीचीन है ।

और चूंक्रक गिनटमें् ऑफ इक्ण्डया एक्् की धारा 80ए की उपधारा (3) के अधीन इसअधधननयम को पाररत क्रकए िाने की गिनटर िनरल की पूि्ट अनुज्ञा अलभप्राप्त हो चुकी है ।

अत: यह ननम्नललखखत रूप में एतदद्िारा अधधननयलमत क्रकया िाता है ।

िारा 1. संक्षिप्त िाम वर्सतार और प्रारम्भ-(1) यह अधधननयम मध्यप्रदेश बोस््टलअधधननयम, 1928 कहा िा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार और प्रितटन सम्पूणट मध्य प्रदेश पर (और में) होगा ।

िारा 2. पररभाषाएं-इस अधधननयम में िब तक क्रक विषय या सन्दभट में कोई बात प्रनतकूलन हो-

(1) **''बोर्स्टल संर्सथा''**से अलभप्रेत है कोई स्थान िहााँ इस अधधननयम के अधीन अपराधीननरूद्ध क्रकए िा सकेंगे और ऐसे औद्योधगक प्रलशिण और अन्य अनुदेश हदए िा सकेंगे और ऐसेअनुशासननक और नैनतक असर के अध्यधीन रखे िा सकेंगे िैसा उनमें सुधार के साधक होने कोआिश्यक हो ।

(2) **''निरूद्ि''**से अलभप्रेत है, बोस््टल संस्था में, ननरूद्ध और "ननरोध" से अलभप्रेत है, मेंननरोध ।

(3) **'अन्त:वासी'**से अलभप्रेत है, ननरूद्ध क्रकए िाने को आदेलशत कोई व्यक्क्त ।

(4) **''अपराि''** से अलभप्रेत है-

(एक) भारतीय दण्ड संहहता के अधीन ननिाटसन या कठोर कारािास से दण्डनीय कोई अपराध,ननम्न के लसिाय-

(क) मृत्यु से दण्डनीय कोई अपराध;

(ख) उक्त संहहता के अध्याय पांच-क, अध्याय छ: या धारा 15- क के अधीन दण्डनीयअपराध;

(ग) राििीनतक गनतविधधयों के अनुसरण में काररत कोई अपराध;

(दो) सािटिननक घूत अधधननयम, 1867 के अधीन कारािास से दण्डनीय अपराध;

(तीन) अफीम अधधननयम, 1878 के अधीन कारािास से दण्डनीय अपराध;

(चार) मध्य प्रदेश आबकारी अधधननयम, 1915 के अधीन कारािास से दण्डनीय कोई अपराध; (पांच) अननष््कर मादक द्रव्य अधधननयम, 1930 के अधीन कारािास से दण्डनीय कोईअपराध ।

(5) **''अधिकारी''**से अलभप्रेत है, ऐसी रीनत में, िैसी विहहत की िाए, ननयुक्त बोस््टल संस्थाका अधधकारी ।

(6) **''ववहित''**से अलभप्रेत है, इस अधधननयम के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार द्िाराबनाए गए ननयमों द्िारा विहहत ।

(7) **''सद््यविार के ललए प्रनतभूनत''**से अलभप्रेत है, राििीनतक गनतविधधयों के अनतररक्तसद्व्यिहार के ललए दण्ड प्रक्रिया संहहता, 1973 की धारा 109 या धारा 110 के अधीन प्रनतभूनत । (8) **''अिीिक''** से अलभप्रेत है, ऐसी रीनत में ननयुक्त िैसी विहहत की िाए, बोस््टल संस्था काअधीिक ।

िारा 3. बोर्स्टल संर्सथाओं की र्सथापिा-(1) इस अधधननयम के प्रयोिनों के ललए राज्यसरकार एक या अधधक बोस््टल संस्थायें स्थावपत कर सकेंगी ।

(2) प्रत्येक बोस््टल संस्था के ललए राज्य सरकार एक अधीिक और ऐसे अन्य अधधकारीननयुक्त करेगी िैसे आिश्यक हो सके ।

(3) प्रत्येक बोस््टल संस्था के ललए एक पररदशटक सलमनत, ऐसी रीनत में ननयुक्त की िाएगीिैसी विहहत की िाए, और उसमें पांच से अन् यून सदस्य होंगे ।

िारा 4. बोर्स्टल संर्सथा ववधायी निकायों के सदर्सयों द्वारा निरीिण के ललए खुली िै-बोस््टलसंस्था, राज्य की विधान सभा के क्रकसी सदस्य द्िारा या राज्य या उसके क्रकसी भाग के

प्रनतननधधत्िके ललए चुने गये लोकसभा सदस्य द्िारा, ऐसे समयों के बीच िैसे राज्य सरकार द्िारा ननयत क्रकए सके ननरीिक, के दानयत्िाधीन होगी ।

िारा 5. इक्कीस वषट से कम आयु के लसद्िदोष में निवाटसि या कठोर कारावास के बदलेबोर्स्टल संर्सथा में निरोि का दण्डादेश पाररत करि की न्यायालय की शक्क्त-िब सोलह िषट सेअन्यून और इक्कीस िषो से अनधधक आयु का पुरूष व्यक्क्त, सत्र न्यायालय या दण्ड प्रक्रिया संहहता1973 की धारा द्िारा विशेषतया सशक्त मक्िस्रे् या प्रथम िगट का मक्िस्रे् द्िारा लसद्धदोषक्रकया िाता है, और िब उसकी आपराधधक आदतों, प्रिवियों या दुश्चररत्र द्िारा लसद्धदोष क्रकयािाता है, और िब उसकी आपराधधक आदतों, प्रिवियों या दुश्चररत्र व्यक्क्तयों की संगनत के कारण,न्यायाधीश या मक्िस्रे् की राय में समीचीन हो क्रक उसे ननरूद्ध क्रकया िाना चाहहए, ऐसान्यायाधीश या मक्िस्रे् ननिाटसन या कारािास का दण्डादेश पाररत करने के बदले, िब आदेश सत्रन्यायालय या दण्ड प्रक्रिया संहहता, 1973 की धारा 33 के अधीन विशेषतया सशक्त मक्िस्रे् द्िारापाररत क्रकया गया हो, दो िषट से अन्यून और पााँच िषट से अनधधक, तथा िब आदेश इस प्रकारसशक्त न होने िाले प्रथम िषट के मक्िस्रे् द्िारा पाररत हो, दो िषट से अन्यून और तीन िषट सेअनधधक की अिधध का आदेश पाररत कर सकेगा ।

(2) िब, ऐसा आदेश पाररत करने का संशक्त न होने िाला कोई मक्िस्रे् इस राय का होक्रक उसके द्िारा लसद्धदोष अपराधी ऐसा व्यक्क्त है क्िसकी बाबत् उपधारा (1) के उपबन्धों केअनुसार आदेश पाररत क्रकया िाना चाहहये, िह कोई दण्डादेश पाररत क्रकये बबना राय अलभललखखतकरेगा और उसकी कायटिाहहयों में शालमल करेगा तथा अलभयुक्त को क्िला मक्िस्रे् या सबडडीिनल मक्िस्रे्, क्िसका िह अधीनस्थ है । अग्रेवषत करेगा ।

(3) क्िला मक्िस्रे् या सब डडीिनल मक्िस्रे् क्िसे क्रक कायटिाहहयााँ इस प्रकार पेश कीगई हो, ऐसी आगामी िांच कर सकेगा (यहद कोई हो) िैसी िह उधचत समझे, तथा अपराधी केननरोध के ललए ऐसा आदेश या ऐसा अन्य दण्डादेश पाररत कर सकेगा, िैसा क्रक िह सब कर सकतायहद उसका विचारण उसके प्रारम्भ से ही उसके द्िारा आयोक्ित हुआ होता ।

िारा 6. प्रनतभूनत देिे में असफलता के ललए कारावास के बदले निरोि-(1) िब सोलह िषटसे अन्यून और इक्कीस िषट से अनधधक की आयु का कोई पुरूष व्यक्क्त सदाचार के ललये प्रनतभूनतदेने को आदेलशत क्रकया गया हो और ऐसी प्रनतभूनत देने में असफल रहता है और िब उसकीआपराधधक आदतों या प्रिवियों या दुश्चररत्र लोगों की संगनत के कारण, मक्िस्रे् की राय में यहसमीचीन हो क्रक उसे ननरूद्ध क्रकया िाना चाहहए, मक्िस्रे् यह ननदेलशत करते हुए, क्रक ऐसा व्यक्क्तसत्र न्यायाधीश के आदेश के लक्म्बत रहने तक, कारागार में ननरूद्ध क्रकया िाए, िारण् िारी करसकेगा; और कायटिाहहयां यथा सम्भि शीघ्र सत्र न्यायाधीश के समि रखी िायेंगी ।

(2) सत्र न्यायाधीश, ऐसी कायटिाहहयों का परीिण करने और मक्िस्रे् से कोई और िानकारीअपेक्षित करने या साक्ष्य लेने के पश्चात् िो िह आिश्यक समझे, दो िषो से कम और तीन िषो सेअधधक न होने िाली अिधध के ललए ननरोध का आदेश या ऐसा अन्य आदेश िो िह उधचत समझेऔर िो विधध के अनुसार हो; पाररत कर सकेगा ।

(3) यहद उसकी कायटिाही के अनुकम में दो या अधधक व्यक्क्तयों से प्रनतभूनत अग्रेवषत कीगई थी, क्िनमें से क्रकसी एक की बाबत कायटिाहहयााँ उपधारा (1) के अधीन सत्र न्यायाधीश कोननहदटष्् की गई हों, ऐसा ननदेश में क्रकसी ऐसे अन्य व्यक्क्त का मामला भी सक्म्मललत हो, औरउपधाराओं (1) और (2) के उपबन्ध, उस दशा में, ऐसे अन्य व्यक्क्त के मामले में भी लागू होंगे ।

िारा 7. क्िला मक्िर्सरे् की ववशेष शक्क्त-(1) िब सोलह िषट से कम और इक्कीस िषट सेअधधक की आयु का न होने िाला कोई पुरूष व्यक्क्त, क्रकसी अपराध के ललये कठोर कारािास यानननिाटसन से दण्डाहदष्् क्रकया गया हो और ऐसे व्यक्क्त की आपराधधक आदतों या प्रिनतयों यादुश्चररत्र लोगों की संगनत के कारण, क्िला मक्िस्रे् की राय में यह समीचीन हो क्रक उसे ननरूद्धक्रकया िाना चाहहए तो क्िला मक्िस्रे् यह आदेश दे सकेगा क्रक ऐसा व्यक्क्त कारािास या ननिाटसनभुगतने के बदले में दो िषो की कालािधध के या यहद उसके ननिाटसन या कारािास के दण्ड कीअनिलसत कालािधध दो िषो से अधधक हो, अनिलसत अिधध के बराबर की कालािधध के ललए ननरूद्धक्रकया िायेगा:

परन्तु ननरोध की कालािधध क्रकसी भी दशा में पांच िषो से अधधक नहीं होगी ।

(2) िब सोलह से कम और इक्कीस िषट से अधधक आयु का न होने िाला पुरूष व्यक्क्तसदाचार की

प्रनतभूनत देने के ललए आदेलशत क्रकया गया हो और ऐसी प्रनतभूनत में असफल होकर दण्डप्रक्रिया संहहता, 1973 की धारा 122 की उपधारा (1) के अधीन कारािलसत हो, और ऐसे व्यक्क्त कीआपराधधक आदतों या प्रिवियों या दुश्चररत्र व्यक्क्तयों की संगत को कारण, क्िला मक्िस्ेे् की रायमें यह समीचीन हो क्रक उसे ननरूद्ध क्रकया िाना चाहहए, तो क्िला मक्िस्ेे् यह आदेश दे सकेगा क्रकउसके मामले की कायटिाहहयां सत्र न्यायाधीश के समि रखी िायेंगी और धारा 6 की उपधारा (2)और (3) के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानों क्रक कायटिाहहयााँ उस धारा के अधीन ननहदटष्् की गईIs .

िारा 8. कब िारा 7 के अिीि कायटवािी िोिी की िा सकेगी-धारा 7 के उपबन्धों के अधीनकोई आदेश पाररत नहीं क्रकया िा सकेगा- (एक) िब तक क्रक बन्दी को उपसंिात होने की विधधद्िारा अनुज्ञात अिधध का अिसान न हो गया हो यहद अपील प्रस्तुत की गई हो, िब तक क्रक ऐसीअपील का अंनतम रूप से विननश्चय न हो चुका हो;

(दो) यहद अपील में या अन्यथा दण्डादेश को ननरोध में सम्पररिनतटत करने का आिेदन अपील न्यायालय या उच्च न्यायालय द्िारा नामंिूर कर हदया गया हो;

(तीन) क्रकसी व्यक्क्त के मामले िो सुधार विद्यालय अधधननयम, 1897 के उपबन्धों केअनुसार सुधार विद्यालय को भेिा हदया गया हो ।

िारा 9. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय पररसीमा अधिनियम. 1963 का लागू िोिाऔर अपील तथा पुिरीिण के ललए नियम-(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए दण्डप्रक्रिया संहहता, 1973 के अपील, ननदेश और पुनरीिण से सम्बक्न्धत उपबन्ध और भारतीय पररसीमाअधधननयम, 1963 के अनुच्छेद, धारा 5 अधीन पाररत ननरोध के आदेश के मामले में लागू होंगे,मानों क्रक आदेश उतनी ही कालािधध के ललए, क्ितनी के ललए ननरोध आदेलशत था, कारािास कादण्डादेश था ।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहहता, 1973 की धारा 283 में क्रकसी बात के अन्तविटष्् होने पर भी, िबकोई व्यक्क्त िो उसके अपराध का लसद्धदोष होते समय इक्कीस िषट से कम आयु का था या िबऐसा व्यक्क्त सदाचार के ललए प्रनतभूनत प्रस्तुत करने का आदेलशत क्रकया गया हो, ऐसी प्रनतभूनतप्रस्तुत करने में असफल हो गया हो, अपील न्यायालय या उच्च न्यायीलय उसका पुनरीिण कीशक्क्त का प्रयोग करते हुए, उपधारा (1) और दण्ड प्रक्रिया संहहता, 1973 के उपबन्धों के अनुसरण मेंऔर ऐसी िांच करने के पश्चात् िैसी िह उधचत समझे, कारािास का दण्डादेश या दण्ड प्रक्रियासंहहता, 1973 की धारा 122 के अधीन कारागार भेिने का आदेश, ननरूद्ध क्रकये िाने के आदेश सेसंपररिनतटत कर सकेगा, यहद धारा 5 की उपधारा (1) में िखणटत कारणों से िह ऐसा संपररितटन करनासमीचीन समझता है, तथा ननरूद्ध क्रकए िाने के आदेश की कारािास के दण्डादेश में या दण्ड प्रक्रियासंहहता, 1973 की धारा 122 के अधीन, कारािास को भेिे िाने के आदेश में संपररिनतटत कर सकेगा।

परन्तु कारािास का दण्डादेश, भेिे िाने का आदेश या ननरोध का आदेश विचारण मक्िस्ेे्या न्यायालय की शक्क्तयों के आधधक्य में नहीं होगा ।

(3) कोई व्यक्क्त िो धारा 7 के उपबन्धों के अधीन उस कारािास की अिधध, क्िसके ललएक्रक िह दण्डाहदष्् क्रकया गया था यहद िह आदेश पाररत न हुआ होता, के अिसान के पश्चात्अिलसत होने िाली कालािधध के ललए बोस््टल संस्था में ननरूद्ध क्रकए िाने की आदेलशत क्रकया गयाहो, उपधारा (5) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए सत्र न्यायाधीश को अपील कर सकेगा और सत्रन्यायाधीश या तो आदेश को पुष्् कर सकेगा या उसे (अपास्त) करते हुए कारािास के दण्डादेश कोप्रत्यािनतटत कर सकेगा या यहद आदेश दो िषो से अधधक के ललए हो तो उसे दो िषट से कम न होनेिाली और न ही कारािास के, क्िसके ललए अपराधी दण्डाहदष्् क्रकया गया था, अिशेष से कम न होनेिाली अिधध तक घ्ा सकेगा ।

(4) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन सत्र न्यायाधीश द्िारा ऐसी कालािधध के ललए क्िसकाअिसान, कारािास की अिधध के अिसान के पश्चात् होता हो क्िसके ललए िह दण्डाहदष्् क्रकया गयाथा, यहद िह आदेश पाररत न हुआ होता, ननरूद्ध क्रकए िाने को आदेलशत कोई व्यक्क्त उपधारा (5)के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, आदेश से तीस हदनों के भीतर उच्च न्यायालय को अपील करसकेगा और उच्च न्यायालय कोई ऐसा आदेश पाररत कर सकेगा िो सत्र न्यायाधीश पाररत करसकता था ।

(5) उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन दोषलसद्धध या तथ्य के ननष्कषट के विरूद्धअपील नहीं की िा सकेगी अवपतु केिल इस आधार पर की िा सकेगी क्रक आिेवपत आदेश अिैध है

या असम्यक् रूप से कठोर है ।

िारा 10. कोई ्यक्क्त िो एक बार निरूद्ि क्रकया िा चुका िै पुि: निरूद्ि िििीं क्रकया िाये-कोई व्यक्क्त िो पूिट में ननरोध के एक आदेश में विहहत सम्पूणट कालाििध के ललए ननरूद्ध क्रकया िाचुका हो या िो इस अधधननयम की धारा 19 के अधीन िेल को अन्तररत हुआ हो, पुन: ननरूद्ध क्रकएिाने को आदेलशत नहीं क्रकया िायेगा ।

िारा 11. प्रनतभूनत प्रर्सतुत कर देिे पर निमुटक्क्त-प्रनतभूनत प्रस्तुत कर सकने में असफलताके ललए ननरूद्ध कोई व्यक्क्त ऐसी प्रनतभूनत प्रस्तुत कर देने पर ननमुटक्त कर हदए िायेंगे ।

िारा 12. निरोि का आदेश पाररत करिे के पूवट अपराििी की आयु सम्बन्िी िांच क्रकयािािा-(1) इस अधधननयम के अधीन ननरोध का आदेश पाररत करने के पूिट मक्िस्ेे या न्यायालय,यथाक्स्थनत, अपराधी की आयु के प्रश्न पर िांच करेगा या िांच करियेगा और ऐसी साक्ष्य लेने केपश्चात् (यहद कोई हो), िैसी आिश्यक या उधचत समझी िा सकें, उस पर अपना ननष्कषटअलभललखखत करेगा ।

(2) इस अधधननयम के अधीन ननरोध का आदेश पाररत करने को सशक्त न होने िालाप्रत्येक मक्िस्ेे, उस अधधननयम की धारा 5 की उपधारा (2) द्िारा यथा अपेक्षित उसकी कायटिाहहयाँऔर अलभयुक्त को क्िला मक्िस्ेे को अग्रेवषत क्रकए िाने के पूिट, इसी प्रकार की िांच करेगा औरननष्कषट अलभललखखत करेगा ।

िारा 13. निरोि का आदेश करिे के पूवट मक्िस्ेे्े का अपिी राय के आिारों का हदयािािा-िब मक्िस्ेे, क्िला मक्िस्ेे, या न्यायालय अपराधी को ननरूद्ध क्रकए िाने का आदेश देताहै िह यथा-क्स्थनत, िह अपनी उस राय के, क्रक अपराधी को ननरूद्ध क्रकया िाना समीचीन है, आधारअलभललखखत करेगा ।

(2) धारा 5 की उपधारा (3) या धारा 6 या धारा 7 के अधीन ननरोध का कोई आदेश पाररतनहीं क्रकया िायेगा िब तक क्रक ननरूद्ध क्रकए िाने िाले व्यक्क्त को या तो व्यक्क्तगत रूप से याप्लीडर द्िारा ऐसा आदेश क्रकए िाने के विरूद्ध हेतु के दलशटत करने का एक अिसर न हदया गया हो।

िारा 14. अिुज्ञक्प्त पर निमुटक् त करिे की शक्क्त-राज्य सरकार के सामान्य या विशेषननदेशों के अध्यधीन रहते हुए, पररदशटक सलमनत कारागारों के यहां ननरीिक की मंिूरी से, तीन िषटसे अनधधक की अिधध के ललए ननरूद्ध क्रकए िाने को आदेलशत अन्त:िासी की दशा में ननरोध केपश्चात् एक िषट का, अन्य क्रकसी दशा में ननरोध के दो िषो के अिसान होने पर क्रकसी समय, यहदसंतुष्् हो िाये क्रक अन्त:िासी सम्भित: अपराध करने से प्रविरत रहेगा और उपयोगी तथाऔद्योधगक िीिन बबतायेगा, उसे पर बोस््टल संस्था से इस शतट पर (उन्मोधचत) कर सकेगी क्रक िहक्रकसी व्यक्क्त या धमट ननरेपि संस्था या धालमटक सोसाय्ी (िो उसी धमट की हो, क्िसका अन्त:िासीहै) िो अनुज्ञक्प्त में नालमत हो, और उसका प्रभार ले सकने की इच्छुक हो सके, के पयटिेिण याप्राधधकारी के अधीन रखा िायेगा, इस धारा के अधीन अनुदि अनुज्ञक्प्त इस अिधध के ललए प्रिृिरहेगी, क्िसके ललए क्रक अन्त:िासी को ननरूद्ध क्रकये िाने के ललए आदेलशत क्रकया गया था, उसका

अिसान न हो और िब तक क्रक पूिट में ही ननलक्म्बत, प्रनतसंहृत या अधधकृत न हो गई हो ।

िारा 15. अिुज्ञक्प्त के अिीि की गैर-िाक्िरी को निरोि की कालावधि में धगिा िािा-िहसमय क्िसके दौरान अन्त:िासी बोस््टल संस्था से अनुज्ञक्प्त के अधीन गैर-हाक्िर रहा हो ननरोध कीकालाििध के भाग के रूप में संगहठत क्रकया िायेगा ।

िारा 16. अिुज्ञक्प्त के प्ररूप-धारा 14 के उपबन्धों के अधीन अनुदि प्रत्येक अनुज्ञक्प्त ऐसेप्ररूप में होंगी और उसमे ऐसी शतट होगी िैसी राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्िारा ननदेशदे ।

िारा 17. अिुज्ञक्प्तयों का निलक्म्ब और प्रनतसंिरण-राज्य सरकार के सामान्य या विशेषननदेशों के अध्यधीन रहते हुए, धारा 14 के अधीन अनुदि तीन मास से अनधधक कालाििध के ललएअधीिक द्िारा ननलक्म्बत की िा सकेगी या कारागारों के महाननरीिक की लसफाररश पर पररदशटकसलमनत द्िारा क्रकसी भी समय प्रनतसंहृत की िा सकेगी । िब क्रकसी अन्त:िासी की अनुज्ञक्प्तननलक्म्बत या प्रनतसंहृत की िािे तो िह बोस््टल संस्था को लौ् आयेगा और यहद िह िैसा करने मेंअसफल रहता है, िह िारं् के बबना धगरफ्तार क्रकया और संस्था को लाया िा सकेगा ।

ि ारा 18. भाग ि ाि े के ललए शाक्क्त-(1) यहद कोई अन्त:ि ासी उसके ननरोध को आदेलशतकी गई कालाि धि के अिसान के पूि ि बोस् टल संस्था से ननकल भागता है या यहद बोररटल संस्था सेअनुज्ञक्प्त पर गैर-हाक्ि र कोई अन्त:ि ासी सरकार के क्रकसी सेि क या क्रकसी (धमट ननरपेि) संस्था याव्यक्क्त या धालमटक सोसाय् ी के प्राधधकार या पयटिे ण से ननकल भागता है क्ि सके प्रभार में ि हरखा गया था या उसकी अनुज्ञक्प्त के ननलम्बन या प्रनतसंहरण पर बोस् टल संस्था में लौ् ने मेंअसफल रहता है, मक्ि से् द् ि ारा क्रकए ि ाने पर दो ि षट की अिधध तक के क्रकसी भांनत के हो सकनेि ाले कारावि ास से या ि ुमाटने से या दोनों से दक्ण्डत क्रकया ि ायेगा अथि ा ननरोध के अविलशष् भाग केअनतररक्त दो ि षो तक की हो सकने ि ाली अिधध को ननरूद्ध क्रकए ि ाने को आदेलशत क्रकया ि ासकेगा और उसकी अनुज्ञक्प्त ननकल भागने या लौ् ने में असफल रहने की यथा-क्स्थनत तारीख सेअधधहृत की ि ायेगी ।

(2) इस धारा के अधीन का कोई अपराध दण्ड प्रक्रिया संहहता, 1973 के उस ननबटन्धन कीपररभाषा के अथो में संज्ञेय अपराध समझा ि ायेगा ।

ि ारा 19. अशोध्य अन्तःवासी-ि ब पररदशटक सलमनत द् ि ारा क्रकसी अन्तःि ासी की अशोध्यहोने पर या संस्था के अन्य अन्तःि ालसयों पर बुरा असर डालने की या इस अधधननयम की धारा 18या धारा 22 के अधीन कारावि ास के दण्डादेश की, ररपो् अथि ा अधीि क द् ि ारा इस अधधननयम कीधारा 33 के खण्ड (4) के उपबन्धों के अनुसरण में राज्य सरकार द् ि ारा बनाए गए ननयमों द् ि ारामुख्य बोस् टल अपराध होना घोवषत क्रकया गया कोई अपराध काररत क्रकए ि ाने की ररपो्, राज्यसरकार को की ि ाती है तो राज्य सरकार ननरोध की अिलशष् भाग, का ऐसा अिशेष से अनधधकक्रकसी भांनत के ऐसी अिधध के कारावि ास में न्यूनीकरण कर सकेगी, ि ैसा सरकार ननदेश दे सके, औरकारावि ास की उक्त अिधध को पूरा करने की राज्य में के क्रकसी ि े ल में अन्तःि ासी को अन्तररत करनेका आदेश दे सकेगी ।

ि ारा 20. अधिकारी नियुक्क्त अन्तःवालसयों का लोक सेवक ि ोि ा-ि े अन्तःि ासी ि ोअधधकाररयों के रूप में ननयुक्त क्रकए गए हैं, उस ननबटन्धन की भारतीय दण्ड संहहता में दी गईपररभाषा के अथो में लोक सेि क समझे ि ायेंगे ।

ि ारा 21. अन्तःवालसयों की बहिवटतीं अलभरिा, नियंत्रण और नियोि ि-कोई अन्त:ि ासी ि बिह बोस् टल संस्था में या से ि हां उसे विधधपूि टक ननरूद्ध क्रकया ि ा सके, ले ि ाया ि ा रहा हो या ि बकभी ि ह बाहर कायटरत हो या ि ह अन्यथा ऐसी क्रकसी बोस् टल संस्था की सीमाओं के परे हो, औरबोस् टल संस्था के होने ि ाले अधधकारी की विधधपूणट अलभरिा या ननयन्त्रण में या के अधीन हो,ननरोध के अधीन हुआ समझा ि ायेगा और उन सभी घ्ा-ि मों के अध्यधीन होगा, मानों क्र क ि हिास्ति में बोस् टल संस्था में हो ।

ि ारा 22. बोर्स्टल संर्सथाओं में या से प्रनतवषद्ि वर्सतुओं के प्रवेश या ि ् ाये ि ाि े के ललएशाक्रसत और अन्तःवालसयों से पत्र-् यविार-ि ो कोई धारा 33 के अधीन के क्रकसी ननयम के प्रनतकूलकोई प्रनतवषद्ध ि स्तु क्रकसी बोस् टल संस्था में या से प्रिेश कराता है या ह् ाता है या चाहे क्रकसीसाधन द् ि ारा प्रिेश कराने या ह् ाने का प्रयत्न करता है अथि ा ऐसे संस्था के बाहर क्रकसी अन्त:ि ासीको प्रदान करने का प्रयत्न करता है और बोस् टल संस्था का प्रत्येक अधधकारी, ि ो ऐसे क्रकसी ननयमके प्रनतकूल ऐसी क्रकसी ि स्तु को ि ानते हुए-

क्रकसी अन्त:ि ासी के कब्ि े में होने की क्रकसी बोस् टल संस्था में या से प्रिेश होना या ह् ाना या कोबोस् टल संस्था की पररसीमा के बाहर प्रदाय क्रकसी अन्त:ि ासी को होने देना सहन करता है, और ि ोकोई, ऐसे क्रकसी ननयम के प्रनतकूल, क्रकसी अन्त:ि ासी से पत्र-व्यिहार करता है या पत्र-व्यिहार काप्रयत्न करता है

और ि ो कोई इस धारा द् ि ारा दण्डनीय क्रकसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, मक्ि से् के समिलसद्ध दोष होने पर, क्रकसी भांनत के छ: मास से अनधधक की अिधध के हो सकने ि ाले कारावि ास सेया दो सौ रूपयों तक के हो सकने ि ाले ि ुमाटने या दोनों के दानयत् ि ाधीन होगा ।

ि ारा 23. ि ारा 22 के अिीि के अपराि ो ं के ललये धगरफ्तार करि की शक्क्त-ि ब कोईव्यक्क्त, बोस् टल संस्था के क्रकसी अधधकारी की उपक्स्थनत में. धारा 22 में विननहदटष् कोई अपराधकाररत करता है और ऐसे अधधकारी द् ि ारा मांग क्रकए ि ाने पर अपना नाम और ननिास कधथत करनेसे इंकार करता है या ऐसा नाम और ननिास का पता देता है, क्ि सका असत्य होना ऐसा अधधकारीि ानता है या ि ैसा विश् ि ास करने का कारण रखता है, ऐसा अधधकारी उसे धगरफ्तार कर सकेगा औरबबना अनाि श्यक विलम्ब के उसे पुललस

अधधकारी को सौंप देगा और तत्पश्चात् पुललस अधधकारी इसप्रकार अग्रसर होगा, माना अपराध उसकी उपक्स्थनत में काररत हुआ था ।

िारा 24. शाक्क्तयों का प्रकाशि-अधीिक बोस्ट्टल संस्था के बाहर, धारा 22 के अधीनप्रनतवषद्ध कायो और उनके काररत क्रकए िाने से उपगत शाक्स्तयााँ देते हुए, सहिगोचर स्थान परअंग्रेिी और हहन्दी में एक नोहस धचपकायेगा ।

िारा 25. उिकी अलभरिा में सम्यक् रूप से सुपुदट क्रकये गये ्यक्क्तयों को बोर्स्टल संर्सथा के प्रभारी अधिकारी द्वारा निरूद्ि क्रकया िािा-बोस्ट्टल संस्था का प्रभारी अधधकारी इस अधधननयम केअधीन उसकी अलभरिा के ललये सम्यक् रूप से सुपुदट क्रकये गये क्रकसी व्यक्क्त को आदेश मेंअन्तविटष्ट ननदेशों के अनुसार क्िसके द्िारा ऐसा व्यक्क्त सुपुदट क्रकया गया है, प्राप्त करेगा औरननरूद्ध करेगा िब तक क्रक ऐसा व्यक्क्त विधध के सम्यक् में उन्युक्त न क्रकया गया हो या हटाया नगया हो ।

िारा 26. बोर्स्टल संर्सथा के प्रभारी अधिकारी द्वारा आदेशों इत्याहद को निष्पादि याउन्मोचि के पश्चात् वापस करिा-बोस्ट्टल संस्था का प्रभारी अधधकारी, यथापूिोक्त प्रत्येक ऐसे आदेशको ननष्पादन के पश्चात् या उसके द्िारा सुपुदट क्रकए गए व्यक्क्त के उन्मोचन के पश्चात्, तत्काल,यह दलशटत करते हुए क्रक िह क्रकसी प्रकार ननष्पाहदत क्रकया गया था क्रक उसके सुपुदट क्रकया गयाव्यक्क्त उसके ननष्पादन से पूिट ननरोध से क्यों उन् मुक् त कर हदया गया उसके द्िारा हस्तािररत औरउस पर पृष्ठांक्रकत एक प्रमाणपत्र के साथ, मक्िस्रे, या न्यायालय क्िसके द्िारा िह क्रकया गया थाया िारी क्रकया गया था ।

िारा 27. कनतपय न्यायालयों के आदेशों का प्रभाव देिे की बोर्स्टल संर्सथा के प्रभारीअधिकारी की शक्क्त-बोस्ट्टल संस्था का प्रभारी अधधकारी क्रकसी राज्य या संघ राज्यिेत्र में क्रकसीन्यायालय या अधधकरण द्िारा पाररत िारी क्रकए गए क्रकसी आदेश को प्रभाि देगा ।

िारा 27-क. राज्य सरकार की शक्क्तयााँ-(1) राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्िारा,ननरूद्ध क्रकए िाने को आदेलशत क्रकसी व्यक्क्त को क्रकसी अन्य राज्य में, उस राज्य की सरकार कीसहमनत से, क्रकसी बोस्ट्टल संस्था या स्कूल से हटाने को उपबन्ध कर सकेगी ।

(2) राज्य सरकार इसी भांनत सामान्य या विशेष आदेश द्िारा, क्रकसी अन्य राज्य में बोस्ट्टलसंस्था स्कूल से क्रकसी व्यक्क्त को बोस्ट्टल संस्था में ननरूद्ध करने के ललए उपबन्ध कर सकेगी ।

(3) इस अधधननयम के उपबन्ध उपधारा (2) या धारा 27 के उपबंधों के अनुसार ननरूद्धक्रकसी व्यक्क्त को लागू होंगे ।

िारा 28. ऐसे न्यायालयों अधिकाररयों के वारण्ट का प्राधिकार िोिा-धारा 27 में यथाननहदटष्टऐसे न्यायालय या अधधकरण की सील के अधीन और उसके अधधकारी के पदीय हस्तािरों के अधीनका आदेश क्रकसी व्यक्क्त को, उस पर पाररत आदेश के अनुसरण में, ननरूद्ध क्रकए िाने को पयाटप्तप्राधधकार होगा ।

िारा 29. प्रक्रिया िहां बोर्स्टल संर्सथा का प्रभारी अधिकारी निष्पादि के ललए उसे भेिे गएआदेश की वैिता पर संदेि करता िै-(1) िहां बोस्ट्टल संस्था का प्रभारी अधधकारी उसे ननष्पादन केललए भेिे गए आदेश की िैधता या उस व्यक्क्त की आदेश पाररत करने की सिमता, क्िसकी पदमुद्राऔर हस्तािर उस पर हों, पर संदेह करता है, िह उस विषय को राज्य सरकार को ननहदटष्ट करेगा,मामले पर क्िसके आदेश द्िारा िह और अन्य लोक अधधकारी अन्त:िालसयों के भािी ननपटारे केललए मागटदलशटत होंगे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन क्रकए गए ननदेश के लम्बन तक, अन्त:िासी आदेश के अनुसार ननरूद्ध क्रकया िायेगा ।

िारा 30. पागल अन्तःवालसयों का क्या क्रकया िायेगा-(1) िब राज्य सरकार को यह प्रतीतहो क्रक क्रकसी आदेश के अधीन ननरूद्ध कोई व्यक्क्त विकृतधचि का है तो राज्य सरकार उसे राज्य केभीतर क्रकसी पागलखाने को या उस अिधध के शेष भाग के दौरान क्िसके ललए िह ननरूद्ध रखे िानेको आदेलशत क्रकया गया था, या उस अिधध के अिसान पर धचक्रकत्सा अधधकारी द्िारा यह प्रमाखणतक्रकया गया हो क्रक अन्त:िासी की या अन्यों की सुरिा के ललए यह आिश्यक है क्रक उसे धचक्रकत्सकीयदेखरेख उपचार में और ननरूद्ध क्रकया िाना चाहहये, तो िब तक क्रक िह विधध के अनुसार उन्मुक्तनहीं होता, सुरक्षित अलभरिा के क्रकसी अन्य स्थान को, िहााँ रखे िाने और उपचार क्रकए िाने को,िैसा राज्य सरकार ननदेश दे, हटाने का

आदेश दे सकेगी ।

(2) िब राज्य सरकार को यह प्रतीत हो क्रक इस प्रकार रखा गया और उपचाररत क्रकया गयाकोई अन्त:िासी स्िस्थधचि का हो गया है, िो राज्य सरकार अन्तःिासी का प्रभार रखने िाले व्यक्क्तको िारं् द्िारा यहद िह अब भी ननरूद्ध क्रकए िाने का दायी हो, उसे उस बोस्ि्टल संस्था को, िहासे िह ह्ाया गया था या राज्य के भीतर क्रकसी अन्य बोस्ि्टल संस् था को प्रनतप्रेवषत करने का ननदेशदेगी या यहद िह अब ननरूद्ध क्रकए िाने का दायी न हो तो उसे उन्मुिा क्रकए िाने का आदेश देगी । (3) भारतीय पागलपन अधधननयम, 1912 की धारा 31 के उपबन्ध, उपधारा (1) के अधीनपागलखाने में पररूद्ध प्रत्येक व्यक्क्त पर उस अिधध के अिसान के बाद लागू होंगे, क्िसके ललए िहननरूद्ध क्रकए िाने को आदेलशत क्रकया गया था; और िह समय क्िसके दौरान क्रक अन्त:िासी उपधारा(1) के अधीन पागलखाने में पररूद्ध रहा है, ननरोध की अिधध के भाग के रूप में संगखणत क्रकयािाएगा क्िसे भुगतने के ललए िह आदेलशत क्रकया गया था ।

(4) क्रकसी मामले में क्िसमें राज्य सरकार अन्तःिासी को राज्य के भीतर क्रकसी पागलखानेको या सुरक्षित अलभरिा के क्रकसी अन्य स्थान को ह्ाने में सिम है, तो राज्य सरकार ऐसे अन्यराज्य की राज्य सरकार से करार द्िारा क्रकसी अन्य राज्य के भीतर पागलखाने या स्थान के ललएह्ाने का आदेश दे सकेगी, और उपधारा (1) के अधीन ह्ाये गये अन्तःिासी की अलभरिा, प्रनतप्रेषणऔर उन्मोचन से सम्बक्न्धत इस धारा के उपबन्ध, िहां तक िे लागू हो सके, इस उपधारा के अधीनह्ाये गए अन्तःिासी को लागू होंगे ।

िारा 31. बोर्स्टल संर्सथाओं को कारागार अधिनियम, 1894, और बक्न्दयों की (न्यायालय मेंिाक्िरी) अधिनियम, 1955 के कनतपय उपबंिों का लागू िोिा-इस अधधननयम की धारा 33 के खण्ड(13) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए कारागार अधधननयम, 1894(1894 का 9) के अध्याय ग्यारहऔर धारा 12 के उपबन्ध तथा बक्न्दयों की (न्यायालय में हाक्िरी) अधधननयम, 1955(1955 का 32)के उपबन्ध िहां तक हो सके, इस अधधननयम के अधीन स्थावपत बोस्ि्टल संस्था को लागू होंगे औरकारागार अधधननयम, 1894(1894 का 9) के अध्याय ग्यारह और धारा 12 में और बक्न्दयों की(न्यायालय में हाक्िरी) अधधननयम, 1955(1955 का 32) के उपबन्धों तथा तद् धीन बनाये गये ननयममें बन्दी, कारागार, कारािास या पररोध के प्रनतननदेश का अथट अन्तःिासी बोस्ि्टल संस्था और ननरोधके ननदेश के रूप में लगाया िायेगा ।

िारा 32.विलुप्त

िारा 33. नियम बिािे की शक्क्त-राज्य सरकार पूिट प्रकाशन के पश्चात् इस अधधननयम से संगत ननयम बना सकेगी-

(1) इस अधधननयम के अधीन स्थावपत बोस्ि्टल संस्थाओं के विननयमन, प्रबन्धन औरिगीकरण और बोडो, सेलों और ननरोध के अन्य स्थानों के विरिण और ननमाटण के ललए;

(2) संस्थाओं के प्रत्येक िगट में ननरूद्ध क्रकये िाने िाले अन्तःिालसयों के संख्या द्िारा याअन्यथा विननयमन के ललए;

(3) कारागार महाननरीिक की शक्क्तयााँ और किटव्य पररभावषत करने को;

(4) बोस्ि्टल संस्थाओं के शासन और अधीिक तथा बोस्ि्टल संस्था में ननयोक्ित अन्यअधधकाररयों की ननयुक्क्त, मागट दशटन, ननयन्त्रण, दण्ड और पदच् युनत के ललए तथा उनके ऊपरदानयत्ि किटव्य, अनहटतायें और शक्क्तयों को पररभावषत करने के ललए;

(5) अलभलेखों के अनुरिण और ररपोि् की तैयारी और प्रस्तुती के ललए;

(6) अन्तःिालसयों की अन्तःिासी अधधकाररयों के रूप में चुनाि और ननयुक्क्त तथा उनकेदण्ड, पदािननत और पदच्युनत के ललये एि ऐसे अधधकाररयों के किटव्य और शक्क्तयां पररभावषतकरने के ललये;

(7) िब तक क्रक उनके बोस्ि्टल संस्था में प्रिेश की व्यिस्था की िाती है, अन्त:िालसयों केअस्थायी ननरोध के ललए;

(8) अन्तःिालसयों के प्रिेश, ह्ाए िाने और उनुक्त क्रकए िाने के ललए और उनके ननरोध केदौरान उनके प्रभािों के ननप्ारे के ललए;

(9) अन्तःिालसयों के भोिन, िस्त्र और बबस्तरों के ललये;

(10) अन्त-िालसयों की अलभरिा, अनुशासन, श्रेणीकरण, उपचार लशिा, प्रलशिण औरननयन्त्रण के ललए;

(11) अन्तःिालसयों के ननयोिन तथा उनके श्रम के आगामों के व्ययन के ललए;

(12) रूग् ण अन्तःिालसयों के उपचार के ललये;

(13) कायो को पररभावषत करने के ललये, क्िनसे बोस्ि्टल संस्था अपराध गहठत होगा; (14)

बोस्ि्टल संस्था अपराधों के मुख्य और गौण अपराधों में िगीकरण के अिधारण के ललये;(15) इस अधधननयम के अधीन हदये िा सकने िाले दण्डों को ननयत करने के ललये िोबोस्ि्टल संस्था अपराधों या उनके िगो के काररत क्रकए िाने पर अधधननणीत क्रकए िायेंगे;

(16) उन पररस्थनतयों की घोषणा करने के ललए क्िनमें बोस्ि्टल संस्था अपराध और भारतीयदण्ड संहहता के अधीन अपराध दोनों का गहठत हो, बोस्ि्टल संस्था अपराध के रूप में बरता िाएगा;(17) अंकों के हदये िाने और ननरोध की कालािधध को कम करने के ललये;

(18) क्रकसी अन्तःिासी या अन्तःिालसयों के शरीर के विरूद्ध आयुधों का प्रयोग और झगड़ेया भागने के प्रयत्न की दशा में बेडड़यों का प्रयोग;

(19) िे पररक्स्थनतयां पररभावषत करने और शतो का विननयमन करने के ललए क्िनके अधीनअन्त:िासी मृत्यु के खतरे में ननमुटक्त क्रकये िा सकेंगे;

(20) क्िस अन्त:िासी के ननरोध की अिधध का अिसान होने िाला हो, उसके सम्पूणट भारतके एक भाग से दूसरे भाग को अन्तरण, को विननयलमत करने के ललए;

(21) उन िस्तुओं को पररभावषत करने के ललए क्िनका सम्यक् प्राधधकार के बबना बोस्ि्टलसंस्था में प्रिेश या ह्ाया िाना प्रनतवषद्ध है;

(22) सद् आचरण के ललए पुरस्कारों के ललये;

(23) अन्तःिालसयों के एक बोस्ि्टल संस्था से दूसरी में या धचक्रकत्सालय में, या पागलखाने और बोस्ि्टल संस्था से कारागार से बोस्ि्टल संस्था को अन्तरण के विनननयमन के ललये;

(24) बोस्ि्टल संस्था में पररूद्ध आपराधधक पागलों या प्रत्युद्धत आपराधधक पागलों केउपचार, अन्तरण और ननप्ारे के ललये;

(25) अन्तःिालसयों से अपीलों और अक्िटयों के पारेषण और उनके ररश्तेदारों और लमत्रों सेउनके पत्र व्यिहार के विननयमन के ललए;

(26) बोस्ि्टल संस्थाओं के पररदशटकों की ननयुक्क्त और मागटदशटन के ललये;

(27) िे शते विहहत करने के ललए, क्िन पर क्रक अनुज्ञक्प्तयों अनुदि, ननलक्म्बत प्रनतसंहृतया रद्द की िायेगी;

(28) पैरोल अधधकाररयों की ननयुक्क्त, शक्क्तयों और ननयन्त्रण के ललए;

(29) पररदशटक सलमनतयों की शक्क्तयों और कितव्यों को पररभावषत करने के ललए;

(30) सामान्यतया इस अधधननयम से सुसंगत सभी प्रयोिनों के ललए ।

िारा 34. आयु सीमाओं में फेरफार करि और अधिनियम को क्रसत्रयों को लागू करि कीसरकार की शक्क्त-राज्य सरकार शासकीय रािपत्र में उसके सेिा करने के आशय का तीन मास सेअन्यून का िैसा नोह्स अधधसूचना द्िारा देने के पश्चात् अधधसूचना की भांनत-

(1) ननदेश दे सकेगी क्रक धारा 5, 6 और 7 के उपबन्ध, इक्कीस और तेईस िषट के बीच के,ऐसी आयु से ऊपर के व्यक्क्तयों को लागू नहीं होंगे, िैसी ननदेश में विननहदटष्् की िाये और ऐसेननदेश के हो िाने पर उक्त धाराओं, िब तक क्रक ननदेश प्रित रहे, की यह प्रभाि होगा, मानो क्रकआयु "इक्कीस िषट" के स्थान पर प्रनतस्थावपत कर दी गई थी;

(2) ननदेश दे सकेगी क्रक धारा 5, 6 और 8 के उपबन्धों का विस्तार क्स्त्रयों पर भी होगा औरऐसे ननदेश के अधधसूधचत हो िाने पर उक्त धाराओं का िब तक क्रक ननदेश प्रित रहे, यह प्रभािहोगा मानो "पुरूष" शब्द विलुप्त कर हदया गया था ।

िारा 35.{विलुप्त}

िारा 36.{विलुप्त}